भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4619

20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएमआर और यू5एमआर की स्थिति

4619. सुश्री कंगना रनौतः
श्री भोजराज नागः
श्री मनीष जायसवालः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री दुलू महतोः
श्री शंकर लालवानीः
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
डॉ. के. सुधाकरः
श्रीमती पूनमबेन माडमः
कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री रमेश अवस्थीः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री शिवमंगल सिंह तोमरः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्रीमती संजना जाटवः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार नवजात शिशु मृत्यु दर (एनएमआर) और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) की वर्तमान स्थिति क्या है और जलगांव, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, कोनासीमा, हजारीबाग और रामगढ़ तथा भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के संदर्भ में जिला-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) देश के इन जिलों में उक्त दरों को और कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ग) संस्थागत प्रसव को सुदृढ़ करने, विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू), टीकाकरण और पोषण संबंधी प्रयासों के माध्यम से अधिक प्रभावित जिलों में लक्षित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में 4डी - जन्म-जात विकारों, रोगों, कमियों और विकास संबंधी विलंब की शीघ्र पहचान करने और हस्तक्षेप करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के मुख्य घटक और उद्देश्य क्या हैं और उक्त जिलों सहित झारखंड में इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत जांच किए गए और उपचार किए गए बच्चों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त जिलों के संदर्भ में जिला-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा देश में आरबीएसके के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर झारखंड और हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में क्या पहल की गई है; और

(छ) क्या देश में जिला स्तर पर कोई समर्पित रेफरल लिंकेज और अनुवर्ती तंत्र स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत के रजिस्ट्रार जनरल की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2023 रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्म 19 है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) प्रति 1000 जीवित जन्म 29 है। एनएमआर और यू5एमआर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) रणनीति के कार्यान्वयन में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर सहयोग करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान सहित पूरे देश में बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए किए गए हस्तक्षेपों का विवरण निम्नलिखित है:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत नकद प्रोत्साहन देकर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना;
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत गर्भवती माताएं और एक वर्ष तक के बीमार शिशु सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त उपचार के साथ-साथ मुफ्त परिवहन, निदान, दवाएं, रक्त और उपभोग्य सामग्रियों की सुविधा के हकदार हैं;

- बीमार और शिशुओं को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए जिला और उप-जिला स्तर पर नवजात गहन परिचर्या इकाइयों (एनआईसीयू)/विशेष नवजात परिचर्या इकाइयों (एसएनसीयू) और नवजात स्थिरीकरण इकाइयों (एनबीएसयू) की स्थापना;
- शिशु पालन प्रथाओं में सुधार के लिए आशा कर्मियों द्वारा प्रदान की जाने वाली गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की गृह आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी);
- शीघ्र स्तनपान शुरू करने शुरुआती छह महीनों तक स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम (एमएए);
- बच्चों में दस्त के प्रबंधन के लिए दस्त रोकने के अभियान के तहत ओआरएस और जिंक का प्रचार-प्रसार;
- निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (एसएएएनएस)के तहत निमोनिया की शीघ्र जांच, पहचान और प्रबंधन;
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत, बच्चों को 12 टीका-निवारक रोगों से बचाने के लिए 11 टीके उपलब्ध कराना;
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और जन्मजात विकारों, बीमारियों, कमियों और विकास में देरी के लिए प्रारंभिक अंतःक्षेप सेवाएं प्रदान करता है ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

(घ) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों में जन्मजात दोष, रोग, कमियों और विकासात्मक विलंब की शीघ्र पहचान और प्रबंधन करना है। जिन बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं, उन्हें प्रारंभिक अंतःक्षेप सेवाएं और अनुवर्ती देखभाल प्रदान की जाती है।

आरबीएसके के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

i. नवजात शिशुओं में जन्मजात विकारों की जांच के लिए प्रसव केंद्रों पर व्यापक नवजात शिशु जांच।

ii. मोबाइल स्वास्थ्य टीम द्वारा 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सामुदायिक जांच।

क) आंगनवाड़ी में (वर्ष में दो बार)

ख) सरकारी स्कूलों में (वर्ष में एक बार)

iii. प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (गृह निरीक्षण) के भाग के रूप में गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम के माध्यम से तहत आशा कर्मियों द्वारा बच्चों की जांच।

iv. जिला प्रारंभिक अंतःक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) और विशिष्ट परिचर्या केंद्रों में चिन्हित बच्चों का चिकित्सीय प्रबंधन।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 7492.25 लाख बच्चों की जांच की गई है और 401.74 लाख बच्चों को माध्यमिक/विशिष्ट चिकित्सा परिचर्या प्रदान की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक II और III** में दिए गए हैं।

(च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एपीआईपी) के आधार पर तकनीकी एवं वित्तीय मार्गदर्शन के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। झारखंड और हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलों सहित पूरे भारत में आरबीएसके के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक रिपोर्टों की समीक्षा, क्षेत्रीय दौरों, राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों और सामान्य समीक्षा मिशनों (सीआरएम) के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी की जाती है।

(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरबीएसके के अंतर्गत जिला स्तर पर 453 जिला प्रारंभिक अंतःक्षेप केंद्र (डीईआईसी) आरंभ किए गए हैं। डीईआईसी में कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों की एक टीम द्वारा अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये केंद्र विशिष्ट स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रेफरल लिंक के रूप में कार्य करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक IV** में दिया गया है।

अनुलग्नक I

दिनांक 20 मार्च, 2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4619 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

22 बड़े राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एनएमआर और यू5एमआर की स्थिति		
	नवजात मृत्यु दर (एनएमआर)	**5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर)**
भारत	**19**	**29**
आंध्र प्रदेश	16	21
असम	21	33
बिहार	18	27
छत्तीसगढ़	26	41
दिल्ली	9	16
गुजरात	15	23
हरियाणा	19	30
हिमाचल प्रदेश	11	17
जम्मू एवं कश्मीर	10	15
झारखंड	20	32
कर्नाटक	11	17
केरल	4	8
मध्य प्रदेश	27	44
महाराष्ट्र	11	16
ओडिशा	21	35
पंजाब	12	22
राजस्थान	21	34
तमिलनाडु	9	13
तेलंगाना	14	22
उत्तर प्रदेश	26	42
उत्तराखंड	14	23
पश्चिम बंगाल	13	18
स्रोत: *नमूना पंजीकरण प्रणाली, आरजीआई रिपोर्ट* भारत - नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) - सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023		
इकाई: प्रति 1000 जीवित जन्म		

अनुलग्नक II

दिनांक 20 मार्च, 2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4619 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(संख्या लाख में**)**

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.06	0.01	0.24	0.02	0.34	0.03	0.35	0.02
2	आंध्र प्रदेश	4.39	0.34	7.24	1.93	6.06	1.06	15.79	2.53	40.55	2.14
3	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.01	1.25	0.02	1.54	0.01	2.97	0.01	3.59	# 30
4	असम	18.36	0.64	30.27	1.20	74.44	4.12	80.67	6.40	100.69	9.19
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	92.07	1.62	127.75	2.01	60.61	1.93
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.61	0.24	1.54	0.34	1.77	0.33	1.87	0.30
7	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	18.81	0.04	32.79	0.14	61.56	0.29	79.94	0.87
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.00	1.26	0.01	0.65	0.02	0.66	0.01	2.00	0.01
9	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	0.05	4.24	0.06	4.27	0.04
10	गुजरात	0.00	0.00	75.29	9.61	198.29	18.53	195.09	25.44	223.59	14.63
11	हरियाणा	5.84	0.54	16.69	2.25	38.43	12.66	44.16	6.16	46.87	5.91
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	# 98	10.91	# 107	11.25	0.13

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	जांच किए गए बच्चों की संख्या	माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या	जांच किए गए बच्चों की संख्या	माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या	जांच किए गए बच्चों की संख्या	माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या	जांच किए गए बच्चों की संख्या	माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या	जांच किए गए बच्चों की संख्या	माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या
13	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	1.88	0.00	23.48	1.88	25.35	1.36	24.97	1.43
14	झारखंड	0.00	0.00	12.74	0.34	47.59	2.29	70.57	1.11	71.39	0.71
15	कर्नाटक	92.82	2.47	99.41	4.48	128.34	7.83	126.61	12.30	119.30	33.16
16	केरल	0.00	0.00	0.46	0.01	16.83	0.10	27.50	0.02	42.18	4.61
17	लद्दाख	0.00	0.00	0.12	0.00	0.99	0.01	0.95	0.02	0.86	0.05
18	मध्य प्रदेश	22.16	1.27	89.82	4.34	140.77	9.17	139.14	8.97	144.54	8.50
19	महाराष्ट्र	28.40	0.14	158.63	3.79	247.32	9.19	254.74	8.50	241.47	15.04
20	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.01	2.93	0.01	2.26	0.02
21	मेघालय	0.66	0.09	3.34	0.13	8.56	0.17	9.17	0.39	8.20	0.41
22	मिजोरम	0.00	0.00	0.42	0.00	3.21	0.08	3.57	0.12	3.39	0.11
23	नागालैंड	0.08	0.00	0.58	0.00	1.32	0.00	1.57	# 99	1.65	# 40
24	ओडिशा	13.25	0.61	40.47	3.16	122.28	7.77	122.24	7.14	123.83	11.20
25	पुदुचेरी	0.00	0.00	1.68	0.00	2.38	0.26	2.00	# 556	2.34	0.01
26	पंजाब	0.55	0.00	0.00	0.00	31.98	0.43	33.41	0.36	39.57	0.28
27	राजस्थान	0.00	0.00	37.48	1.55	85.98	3.15	99.55	1.92	60.00	2.25
28	सिक्किम	0.00	0.00	0.27	0.00	0.76	0.02	0.91	0.02	1.17	0.01
29	तमिलनाडु	5.73	0.00	167.76	2.03	252.90	4.01	144.89	3.22	149.76	2.52

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**
30	तेलंगाना	0.00	0.00	10.72	0.51	40.03	1.06	52.63	1.95	65.72	1.87
31	त्रिपुरा	1.31	0.05	3.65	0.18	5.19	# 313	8.02	# 423	8.00	0.33
32	उत्तर प्रदेश	28.21	0.31	73.42	1.40	235.16	7.08	309.21	9.73	349.68	13.50
33	उत्तराखंड	0.90	0.02	12.03	0.05	20.88	0.20	19.74	0.26	19.60	0.29
34	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	126.53	8.66	174.31	11.81	174.69	12.08
	कुल (लाखों)	**222.70**	**6.49**	**866.36**	**37.28**	**1998.09**	**101.94**	**2174.95**	**112.48**	**2230.15**	**143.55**

नोट 1: कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 और 2021-22 में मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से सामुदायिक स्तर की जांच बाधित हुई क्योंकि आंगनवाड़ी और स्कूल बंद थे।

नोट 2: दिल्ली स्वास्थ्य सेवा, दिल्ली सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.08 लाख बच्चों की जांच की गई; वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.06 लाख बच्चों की जांच की गई और 0.04 लाख बच्चों ने माध्यमिक/विशिष्ट परिचर्या का लाभ उठाया तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15.78 लाख बच्चों की जांच की गई और 0.7 लाख बच्चों ने माध्यमिक/विशिष्ट परिचर्या का लाभ उठाया।

नोट 3: उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लक्षद्वीप ने वित्त वर्ष 2023-24 में 0.11 लाख बच्चों और वित्त वर्ष 2024-25 में 0.16 लाख बच्चों की जांच की है।

यह आंकड़ा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुडुचेरी और त्रिपुरा राज्यों की कम जनसंख्या के कारण प्रबंधित मामलों की कुल संख्या को दर्शाता है।

अनुलग्नक III

दिनांक 20 मार्च, 2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4619 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(संख्या में)

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
राज्य	**जिला**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/ विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**माध्यमिक/विशिष्ट स्तर की परिचर्या का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या**
महाराष्ट्र	जलगांव	57310	5085	1011701	100020	1269232	61700	1260057	62532	1240999	135259
कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	184124	3415	368410	4705	430941	21978	379230	34876	392672	170284
आंध्र प्रदेश	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	*5794	*4574	*6208	*4845	8212	6467	7239	5374	6283	4086
झारखंड	हजारीबाग	**0	**0	181302	1046	288737	1865	329578	7905	302663	11064
	रामगढ़	**0	**0	97478	551	181281	1255	190623	2324	169223	4559
राजस्थान	डीग ***	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	154549	4411
	अलवर	**0	**0	286923	10154	327142	12343	203765	5376	207706	7747
	भरतपुर	**0	**0	231290	9330	386017	9822	188098	4702	174313	3787

* कोनासीमा जिले से संबंधित वर्ष 2020-21 और 2021-22 के आंकड़े पूर्ववर्ती पूर्वी गोदावरी जिले से लिए गए हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जिला पुनर्गठन के दौरान अप्रैल 2022 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले का गठन किया गया था।

** कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 और 2021-22 में आंगनवाड़ी और स्कूलों के बंद होने के कारण मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर जांच बाधित हुई।

*** डीग जिले की स्थापना 2024-25 में हुई।

अनुलग्नक IV

दिनांक 20 मार्च, 2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4619 के भाग (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों	संचालनरत डीईआईसी की संख्या
आंध्र प्रदेश	34
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	20
बिहार	9
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	7
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	2
दिल्ली	4
गोवा	2
गुजरात	28
हरियाणा	21
हिमाचल प्रदेश	10
जम्मू एवं कश्मीर	22
झारखंड	8
कर्नाटक	16
केरल	14
लद्दाख	2
मध्य प्रदेश	51
महाराष्ट्र	35
मणिपुर	9
मेघालय	3
मिजोरम	2
नागालैंड	1
ओडिशा	32
पुदुचेरी	1
पंजाब	5
राजस्थान	18
सिक्किम	1
तमिलनाडु	39
तेलंगाना	19
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	12
उत्तराखंड	5
पश्चिम बंगाल	14
कुल	**453**
